

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थी  
चुनाराम पुत्र श्री प्रागाजी  
जाति मेघवाल निवासी कालन्द्री  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी  
स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एकट

रा.प्रा.पत्र सं. 20/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील चेतन कुमार रावल व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/रीडर/2025/विधि/811 दिनांक 01.10.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम कालन्द्री पटवार मण्डल कालन्द्री-1 की जमाबंदी 2070-73 के खाता संख्या 230 में खसरा सं. 1042 से 1052 कुल किता 11 कुल रकबा 12.1500 हैक्टेयर, खाता संख्या 252 में खसरा सं. 1398, 1399 व 1401 कुल किता 3 कुल रकबा 7.1100 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 253 में खसरा सं. 1162 1172 कुल किता 2 कुल रकबा 2.2400 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "चुनीया पुत्र प्रागा" दर्ज है। मौका जांच अनुसार प्रार्थी का शुद्ध व दस्तावेजी नाम "चुनाराम पुत्र प्रागाजी" है। अतः ग्राम कालन्द्री पटवार मण्डल कालन्द्री-1 की जमाबंदी 2070-73 के खाता संख्या 230, 252 तथा 253 में चुनीया पुत्र प्रागा के स्थान पर चुनाराम पुत्र प्रागाजी दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एकट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि <b>ग्राम कालन्द्री पटवार मण्डल कालन्द्री-1 की जमाबंदी 2070-73 के खाता संख्या 230, 252 तथा 253 में चुनीया पुत्र प्रागा के स्थान पर चुनाराम पुत्र प्रागाजी संशोधन कर</b> उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही  
(उपलैण्ड अधिकारी)  
सिरोही (राज.)

